



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16020

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 247/2026

राम चन्द्र यादव

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्म नारायण सिंह और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थीगण को 01.07.2020 से 30.06.2021 तक अनुमानित वेतन वृद्धि देने का निर्देश देने के लिए है। **सिविल अपील संख्या 2471/2023 (निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य) बनाम सीपी मुंडिनानी और अन्य)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो 11.04.2023 को निर्णीत किया गया था।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को तीसरे प्रत्यर्थी, वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
5. इस तरह के प्रस्तुति पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करता है।
6. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जा रहा है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को तीसरे प्रत्यर्थी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता दी जा रही है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी प्राप्ति पर होगा, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रत्यर्थीगण से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में चला गया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)